Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Vol. 13, Issue 1 | May 2025 - October 2025 | pp. 49-53

# नारी शक्ति वंदन अधिनियम : महिलाओं के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिकोत्थान की दिशा में एक सार्थक प्रयास

ISSN 2348-3857

**डॉ. धर्मराज शर्मा**

सीनियर रिसर्च फेलो, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली
राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

## शोध सारांश

*भारत में आजादी के पश्चात अनेक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं संवैधानिक सुधार हुए हैं। इसी का परिणाम है कि पंचायत स्तर से लेकर संसद तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और महिलाएँ सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में काफी जागरूक भी हुई हैं, लेकिन जिस स्तर तक महिलाओं की सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भूमिका होनी चाहिए वह अभी नहीं हो पाई है। संप्रति महिलाओं को और अधिक प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है, जिससे महिलाएँ सामाजिक एवं राजनीतिक स्तर पर अपनी प्रभावशाली भूमिका दर्ज करा सकती हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम- 2023 पारित किया गया है, उसका महिलाओं के राजनीतिक एवं सामाजिक स्तर पर सकारात्मक प्रभाव होंगे और महिलाएँ राजनीति के क्षेत्र में एक प्रभावशाली भूमिका दर्ज करने में सफल होंगी। किसी भी देश और समाज के नवनिर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महिलाएँ परिवार और समाज को सुसंस्कृत और सभ्य बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बिना महिलाओं की भूमिका के किसी भी कार्य की सफलता करना संभव नहीं है। इस संदर्भ में कतिपय विद्वानों का कहना है कि यह अधिनियम समाज को एक नवीन दिशा और दशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। महिलाओं के सामाजिक एवं राजनीतिक उत्थान के संदर्भ में सकारात्मक परिणाम समाज के सामने उपस्थित हो सकेंगे।*

**संकेताक्षर**—*राजनीतिक जागरूकता, महिला सशक्तिकरण, लोकतांत्रिक व्यवस्था, भारतीय संस्कृति, आर्थिक संरचना*

## प्रस्तावना

भारतीय सभ्यता और संस्कृति लगभग 5000 वर्ष प्राचीन है। भारतीय संस्कृति में महिलाएँ सदा वंदनीय रही हैं। हमारी संस्कृति में एक उक्ति प्रारंभ से प्रचलित रही है... यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमंते तत्र देवता अर्थात जहां नारियों का आदर और सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। परिवार, समाज और राष्ट्र के आर्थिक एवं राजनीतिक संचालन में महिलाओं की प्रारंभ से ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समाज के सशक्तिकरण और राष्ट्र के नवनिर्माण में महिलाओं की उल्लेखनीय भूमिका होती है। भारत में महिलाओं ने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में समय-समय पर अपना अमूल्य योगदान दिया है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि महिलाओं ने समाज और राष्ट्र के नवनिर्माण में अपनी महती भूमिका निभाई है। भारत में आजादी के पश्चात अनेक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं संवैधानिक सुधार हुए हैं। इसी का परिणाम है कि पंचायत स्तर से लेकर संसद तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और महिलाएँ सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में काफी जागरूक भी हुई हैं, लेकिन जिस स्तर तक महिलाओं की सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भूमिका होनी चाहिए थी, वह अभी नहीं हो पाई है। यह अधिनियम महिलाओं के राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा।[1] इसके माध्यम से महिलाएँ सामाजिक एवं राजनीतिक स्तर पर अपनी प्रभावशाली भूमिका दर्ज कराने में सक्षम होंगी।

भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने और लैंगिक समानता को सशक्त बनाने के उद्देश्य से संसद ने वर्ष 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया। यह अधिनियम भारतीय संविधान में एक ऐतिहासिक संशोधन है, जिसके माध्यम से संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत (एक-तिहाई) आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। यह अधिनियम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक निर्णायक कदम है, क्योंकि इससे उन्हें निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में अधिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व मिलेगा। नवीन संसद भवन में 19 सितंबर को नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, 20 सितंबर को लोकसभा में पारित होने के पश्चात 21 सितंबर को यह राज्यसभा से पारित हुआ। इसके पश्चात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस विधेयक को स्वीकृति दी गई। 21 सितंबर का दिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन बन चुका है। यह अधिनियम लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के द्वारा सर्वसम्मति से पास किया गया। महिला आरक्षण के लिए 128 वें संविधान संशोधन विधेयक को पहली लोकसभा और फिर राज्यसभा में पास किया गया। राज्यसभा में इसे सभी सदस्यों और दलों के द्वारा समर्थन दिया गया, लेकिन कतिपय राजनीतिक दलों की द्वारा यह मांग की गई कि इसमें ओबीसी कोटे को भी सम्मिलित किया जाए।

## नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संविधान (106वां संशोधन) विधेयक, 2023 के रूप में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन कर महिलाओं को विधायिका में आरक्षण प्रदान किया गया है। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं—

**संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण**—अधिनियम के अनुसार, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों का 33 प्रतिशत आरक्षित किया जाएगा। यह आरक्षण सीधे चुनावों में लागू होगा, अर्थात् महिलाएँ आम जनता द्वारा चुनी जाएँगी और आरक्षित सीटों पर प्रतिनिधित्व करेंगी।

**अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षण में महिला भागीदारी**—अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में भी एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इससे समाज के हाशिए पर रहने वाली महिलाओं को भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा।

**लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण का परिसीमन से जुड़ाव**—अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि महिलाओं को आरक्षण नई जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मिलेगा। अर्थात् जब देश में अगली जनगणना पूरी होगी और उसके आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा, तब से यह आरक्षण लागू होगा। इस कारण इसका प्रभावी कार्यान्वयन अगले आम चुनावों के बाद संभव हो पाएगा।

**आरक्षण की अवधि और पुनरावलोकन**—अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि यह आरक्षण प्रारंभिक रूप से 15 वर्षों के लिए लागू रहेगा। इसके बाद संसद इस अवधि को बढ़ाने या संशोधित करने का अधिकार रखेगी। इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी स्थायी रूप से बढ़े और उन्हें आवश्यक अनुभव और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का समय मिले।

**आरक्षित सीटों का रोटेशन प्रावधान**—इस अधिनियम के अंतर्गत आरक्षित सीटों का रोटेशन प्रणाली के माध्यम से निर्धारण किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक चुनाव में अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा, जिससे सभी क्षेत्रों की महिलाओं को प्रतिनिधित्व का समान अवसर मिले।

**राज्य विधान परिषदों और राज्यसभा पर लागू नहीं**—यह आरक्षण केवल लोकसभा और विधानसभाओं की चुनी हुई सीटों पर लागू होगा। राज्यसभा और विधान परिषद जैसी अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाने वाली सभाओं में यह प्रावधान लागू नहीं होगा।

**संवैधानिक संशोधन और लागू होने की प्रक्रिया**—अधिनियम के लागू होने के लिए संविधान के अनुच्छेद 239AA, 330AA, 332A और 334A या संशोधित किए गए हैं। यह अधिनियम दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति से लागू हुआ।नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तिकरण की दिशा में निश्चित रूप से एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। कतिपय बुद्धिजीवियों के मन में यह प्रश्न भी उत्पन्न हो रहे हैं कि क्या आरक्षण का प्रावधान कर देने

ISSN 2348-3857

मात्र से महिलाओं की स्थिति में व्यापक परिवर्तन दृष्टिगोचर हो सकेंगे। यह आवश्यक है कि महिला आरक्षण के सम्बन्ध में उन विविध और समान रूपों की पहचान की जाए, जो पितृसत्तात्मक हैं और महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से बाहर करते हैं। देश के लोकतंत्र में महिला शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कानून की आवश्यकता प्रारम्भ से ही महसूस की जा रही थी। आजादी के सात दशकों के पश्चात भी महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में आशा के अनुरूप परिणाम दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। कतिपय विद्वानों के द्वारा इस संदर्भ में यह भी कहा गया कि जब नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, तो उद्घाटन के समय सुशासन के प्रतीक सिंगोल की स्थापना की गई, स्थापना के समय भी भारत की महिला राष्ट्रपति को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया। महिला राष्ट्रपति को और पक्ष एवं विपक्ष की महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के इसमें आमंत्रित किया जाना चाहिए था। जो महिला सम्मान की दृष्टि से एक अच्छा कदम होता।

महिलाओं की सामाजिक स्थिति को मजबूत किया जाए और महिलाओं को इस प्रकार सशक्त बनाया जाए कि वह सम्मान के साथ समाज में रह सके और अपने अस्तित्व को बनाए रख सके। एक सम्मान पूर्वक सोच के साथ आगे बढ़ना महिलाओं का संवैधानिक अधिकार है। हमारी संसद और विधानसभाओं में यह भागीदारी कभी पन्द्रह प्रतिशत से ज्यादा नहीं रही है। देश की आधी आबादी को भी सम्मान मिले और महिलाएँ मजबूती के साथ आगे बढ़ें, इस संदर्भ में हमारे देश के नीति-नियंताओं को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के संदर्भ में देखा जाए, तो स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान में 20, नेपाल में 30, बांग्लादेश में 30 प्रतिशत महिला सांसदों की संख्या है, जो हमसे अधिक है। इस मामले में विश्व का औसत 26 प्रतिशत है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत इस संदर्भ में विश्व में 144वें स्थान पर है। सत्रहवीं लोकसभा में भी सर्वाधिक महिला सदस्यों की संख्या 82 हैं। अनेक राजनीतिक विद्वानों का इस संदर्भ में कहना है कि सभी राजनीतिक दलों ने विधेयक का स्वागत तो कर दिया है, लेकिन वह स्वयं कभी अपने दलों में 33 प्रतिशत टिकट महिलाओं को उपलब्ध नहीं कर पा रही हैं, तो यह भी एक विचारणीय प्रश्न है कि सभी राजनीतिक दलों के द्वारा लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय चुनावों में महिलाओं को कम से कम 33 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

सत्रहवीं लोकसभा तक कुल सदस्यों की संख्या 543 निर्धारित हैं और चुनी हुई महिला सांसदों की संख्या 82 हैं। इस कानून के लागू होने के पश्चात महिला सदस्यों की संख्या 181 हो जाएगी। इसके साथ ही राज्यों की विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू हो जाएगी।[5] परिसीमन की पश्चात इसमें निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी, तब महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व सदन में प्राप्त हो सकेगा। चुनी गई सांसद समय-समय पर महिलाओं के हित में मांग उठाने में भी सक्षम हो सकेंगी।

## नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समक्ष चुनौतियाँ

भारत में नारी सशक्तिकरण की दिशा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। यह अधिनियम संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है, जिससे भारतीय राजनीति में लैंगिक समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया है। यद्यपि यह अधिनियम महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में मील का पत्थर है, इसके क्रियान्वयन में अनेक सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और संरचनात्मक चुनौतियाँ मौजूद हैं।

सबसे पहली चुनौती राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है। संसद में अधिनियम पारित होने के बावजूद, इसे लागू करने के लिए आवश्यक परिसीमन और जनगणना प्रक्रियाओं का पूरा होना आवश्यक है। जब तक ये प्रक्रियाएँ पूरी नहीं होतीं, तब तक वास्तविक आरक्षण लागू नहीं हो सकता। इस कारण अधिनियम का लाभ तत्काल नहीं मिल पाएगा, और राजनीतिक दलों में भी इसको लेकर पर्याप्त तत्परता नहीं दिख रही है।

दूसरी प्रमुख चुनौती सामाजिक मानसिकता और पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण है। भारतीय समाज के अनेक हिस्सों में आज भी महिलाओं की भूमिका को सीमित माना जाता है। राजनीति में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। पुरुष प्रधान राजनीतिक संस्कृति में महिलाओं को निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में बराबर का अवसर मिलना अभी भी कठिन है। इससे महिलाओं की वास्तविक सशक्तिकरण की राह में मानसिक बाधाएँ उत्पन्न होती हैं।

तीसरी चुनौती राजनीतिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की कमी से जुड़ी है। अधिकांश महिलाएँ ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती हैं, जहाँ उन्हें पर्याप्त राजनीतिक शिक्षा या नेतृत्व प्रशिक्षण नहीं मिल पाता। इसके अभाव में वे राजनीतिक निर्णयों में प्रभावी भूमिका नहीं निभा पातीं। परिणामस्वरूप, कई बार महिलाएँ केवल प्रतीकात्मक रूप से चुनी जाती हैं, जबकि वास्तविक निर्णय उनके पुरुष परिजन या "सरपंच पति" जैसी व्यवस्था के माध्यम से किए जाते हैं।

चौथी चुनौती राजनीतिक दलों की नीतिगत उदासीनता है। दलों में महिला उम्मीदवारों को टिकट देने की परंपरा सीमित है। अक्सर उन्हें उन निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्याशी बनाया जाता है जहाँ जीत की संभावना कम होती है। साथ ही, महिलाओं के लिए राजनीतिक नेतृत्व के उच्च स्तर तक पहुँचने के अवसर सीमित हैं, जिससे वे नीति निर्धारण में प्रभावशाली भूमिका नहीं निभा पातीं।

पाँचवीं चुनौती आर्थिक और संरचनात्मक सीमाओं से संबंधित है। चुनाव लड़ना अत्यंत महँगा हो गया है, जबकि अधिकांश महिलाओं के पास स्वतंत्र आर्थिक संसाधन नहीं होते। इसके कारण वे चुनावी राजनीति में पुरुष उम्मीदवारों के मुकाबले कमजोर स्थिति में रहती हैं। साथ ही, सुरक्षा, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ और सामाजिक अपेक्षाएँ भी उनके राजनीतिक जीवन को सीमित करती हैं।

## निष्कर्ष

नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम है। इस अधिनियम के माध्यम से संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है, जिससे उन्हें निर्णय-निर्माण और नीति निर्धारण में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। यह केवल महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का साधन नहीं है, बल्कि सामाजिक समानता और न्याय की भावना को भी सुदृढ़ करता है। हालाँकि इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जनगणना और परिसीमन की प्रक्रियाओं का पूरा होना आवश्यक है, फिर भी यह महिलाओं के लिए राजनीति में नए युग की शुरुआत का संकेत देता है। इससे ग्रामीण और शहरी, दोनों स्तरों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और वे अपने समुदायों की वास्तविक समस्याओं को बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकेंगी।

यह अधिनियम न केवल महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाएगा, बल्कि शासन प्रणाली में पारदर्शिता, संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व को भी प्रोत्साहित करेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का वास्तविक उद्देश्य महिलाओं को केवल प्रतिनिधित्व देना नहीं, बल्कि उन्हें नेतृत्व के केंद्र में स्थापित करना है, ताकि भारत एक सशक्त, समानता-आधारित और समावेशी लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ सके। अंततः, यह कहा जा सकता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने का सशक्त माध्यम है, लेकिन इसके पूर्ण प्रभाव के लिए केवल संवैधानिक संशोधन पर्याप्त नहीं है। आवश्यक है कि सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन, राजनीतिक प्रशिक्षण का विस्तार, और दलगत स्तर पर महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित की जाए। जब तक समाज और राजनीति दोनों स्तरों पर लैंगिक समानता को वास्तविक रूप से स्वीकार नहीं किया जाएगा, तब तक इस अधिनियम का उद्देश्य एक समान, न्यायपूर्ण और समावेशी लोकतंत्र पूरी तरह साकार नहीं हो सकेगा।

## सन्दर्भ ग्रन्थ सूची


1. शर्मा, सुषमा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम : भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का नया अध्याय, भारतीय समाज विज्ञान जर्नल, अक्टूबर 2023, वर्ष-21, अंक-दो, पृ.सं. 45-51.
2. सिंह, अंजू, महिला आरक्षण और नारी शक्ति वंदन अधिनियम : एक संवैधानिक दृष्टि, राजनीति विज्ञान समीक्षा, नवम्बर 2023, वर्ष-18, अंक-एक, पृ.सं. 62-70.
3. गुप्ता, रेखा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का प्रभाव : महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण, लोक नीति अध्ययन पत्रिका, दिसम्बर 2023, वर्ष-10, अंक-तीन, पृ.सं. 33-40.
4. चौधरी, किरण, भारतीय लोकतंत्र में लैंगिक समानता और नारी शक्ति वंदन अधिनियम, भारतीय संवैधानिक अध्ययन जर्नल, जनवरी 2024, वर्ष-8, अंक-एक, पृ.सं. 55-61.
5. वर्मा, पूजा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम : चुनौतियाँ और संभावनाएँ, समाज और विकास शोध पत्रिका, फरवरी 2024, वर्ष-15, अंक-दो, पृ.सं. 28-36.

6. शर्मा, डी.आर., अलवर न्यूज, अलवर, राजथान, 18 फरवरी 2024, मुख्य पृष्ठ
7. शर्मा, अभिनव, इन्द्रप्रस्थ पत्रिका, अलवर, राजस्थान, तीन मार्च, 2024, मुख्य पृष्ठ
8. शर्मा, डी.आर., दैनिक भास्कर, अलवर, राजस्थान, 20 अक्टूबर, 2023, पृ.सं. चार
9. जॉन, इ मैरी, इट्स ए लॉंग रोड टू वूमेन्स इक्वेलिटी, द हिन्दू ऑनलाइन, 26 सितम्बर 2023, नई दिल्ली
10. जैन, मंजु कुमारी, महिला श्रमिक : परम्परागत से गैर-परम्परागत भूमिका, मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसंधान जर्नल, जून 2015, वर्ष-13, अंक-एक, पृ.सं. 52.
11. श्रीवास्तव, रमेश, वुमैन एमपावरमेंट एण्ड गुड गवर्नेन्स, प्रशासनिका, जुलाई-दिसम्बर 2014, नम्बर दो, पृ.सं. 121